

20213

बोधपुर

पत्रिका की अति-संशोधित वास्तव सामग्री के अभाव-
 तिर होकर प्राप्त हुई है। अतः-एते रजिस्टर की जारी
 अपील पर सविधान उपस्थित है। उनकी होर से
 प्रारंभ पर वास्तव अपील विवेक करने का प्रयत्न कर
 विवेक किन्तु अपील एवं प्रकाशन एक ही प्रकार
 के हैं तथा प्रकाशन के संशोधन के अभाव में
 सविधान होना है अतः अपील में कोई त्रुटि
 नहीं पायी है एवं अपील की तथा अपील प्रकाशन



a

20213, -

20.2.19

हुकम या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम को तामील
में जारी हुए

मिडिलवॉश राज्या
24 अप्रैल 20 34/2019

नाडी 22/1/19 आदेश को विद्दी करने का निवेदन
किया है।

एन. अपीलानर अप्रिवक्ता की ओर से प्रस्तुत
प्रावधान का उल्लेख किया। अपीलानर की
ओर से प्रस्तुत प्रावधान अनुसार राजीनामा
होने पर पर लया लोक न्यायाधीश की भावना की
न्यायकार 22/1/19 अपीलानर का उक्त प्रावधान
अपीलानर किया गया है तथा अपील को एवं
22/1/19 प्रावधान को विद्दी करने की अनुमति
प्राप्त की जाती है। उक्त अपीलानर विद्दी 22/1/19
की जाती है। तथा पूर्व से परित 22/1/19 उल्लेख विद्दी
16.8.2018 को वेकेंड किया जाता है। पत्रावली प्रथम
शुमार होकर नख्खर से का की जावे। अप्रिवक्ता
न्यायालय को आदेशिका की मध्यमति प्रेषित की जावे।



सिद्धांत
20/2/19

डिविजनल कमिश्नर
बीकानेर